6

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः 097/2019

1 भागीरथ पुत्र स्व. केशूराम आयु-75 वर्ष
2 नत्थूराम आयु-48 वर्ष
3 महेन्द्र सिहं आयु-42 वर्ष पिसरान भागीरथ जाति जाट (जाखड़) निवासी सतीपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़

-:प्रार्थीगण

बनाम्

1 गुरबक्शीश सिहं पुत्र लखवीर सिहं
2 कर्मजीत कौर पत्नी लखवीर सिहं जाति जटसिख निवासी सतीपुरा ढ़ाणी चक 45 एनजीसी तहसील व जिला हनुमानगढ़
3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़

-:अप्रार्थीगण

उपस्थित :-
1. श्री लालचंद वर्मा - अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री बलविन्द्र सिंह - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1, 2
3. राजपैरोकार - अप्रार्थी सं. 3

-::निर्णय::-

दिनांक 30.10.2025

अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री लालचंद वर्मा द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या-1 व प्रार्थीगण संख्या-2 व 3 परस्पर पिता-पुत्र हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि चक 45 एनजीसी पटवार हल्का सतीपुरा तहसील हनुमानगढ़ उपखण्ड हनुमानगढ़ के खाता संख्या-55/55 सम्वत 2075-2078 में 2.264 हैक्टेयर है जो प्रार्थीगण के संयुक्त आधिपत्य व धारण में है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की इस भूमि में आने-जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता चिपता हुआ नहीं था तथा इस कारण प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता (Absolute necessity) होने पर माननीय न्यायालय ने प्रकरण संख्या 188/214 शीर्षक रामेश्वरीदेवी बनाम विचित्र सिहं अन्तर्गत धारा 251 आरटीए के अन्तर्गत आदेश दिनांक 02-09-2014 के अन्तर्गत विचित्र सिहं की खातेदारी की कृषि भूमि चक 45 एनजीसी के पत्थर नम्बर-137/245 (3) के किला नम्बर-23 की पश्चिमी सीमा पर दक्षिण से उतर 1 बिस्वा रास्ता मंजूर फरमाया था तथा इस रास्ता की एवज में श्रीमति रामेश्वरीदेवी ने अपनी खातेदारी भूमि में से पत्थर नम्बर-137/245 (3) के किला नम्बर-17 व 18 में दक्षिणी तरफ विचित्र सिहं की विपती कृषि भूमि किला नम्बर 23-24 के उत्तर दिशा में प्रत्येक किला में आधा-आधा बिस्वा भूमि दी। इस आदेश की पालना में इन्तकाल संख्या-383 दर्ज हुआ। प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 02-09-2014 व इन्तकाल संख्या-383 संलग्न है। श्रीमती रामेश्वरीदेवी का देहान्त हो जाने के कारण उसके खाता की भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है तथा विचित्र सिहं के खाता की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम हुई है। उक्त किला नम्बर-23 में स्वीकृत किये गये 1 बिस्वा रास्ता के दोनों तरफ अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 की भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 ने इस स्वीकृत रास्ता के दोनों सिरों पर पत्थर गाड़ कर तारबन्दी कर दी है तथा इस कारण इस 1 बिस्वा अर्थात 8.25 फुट में से प्रार्थीगण के कृषि यन्त्र व तुड़ी, चारा से भरी टैक्ट्रर ट्राली व कम्बाईन आदि का आवागमन बाधित हो गया है। इस कारण प्रार्थीगण इस स्वीकृत रास्ता का विस्तार

Enlargement or widening) किये जाने व इस रास्ता को दो बिस्वा अर्थात 0.025 हैक्टेयर चौड़ाई में स्वीकृत किये जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

यह कि इस कारण उक्त स्वीकृत रास्ता के विस्तार करने हेतु निम्नलिखित आधारों पर निवेदन करते है-

प्रार्थीगण की हनुमानगढ़ के चक 45 एनजीसी में स्थित भूमि का विवरणः- प.न. 137/245 मु.न. 3 कि.न. 3-4-7-8-13-14, 17/1,18/1 कुल 2.264 हैक्टेयर। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 45 एनजीसी खाता संख्या-55/55 सम्वत 2075-2078 मय नक्शा संलग्न प्रार्थना-पत्र है।

प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि चक 45 एनजीसी के पटवार हल्का सतीपुरा तहसील हनुमानगढ उपखण्ड हनुमानगढ़ में स्थित है।

प्रार्थीगण की इस भूमि में आने-जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता चिपता हुआ नहीं था तथा इस कारण प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता (Absolute necessity) होने पर माननीय न्यायालय ने प्रकरण संख्या 188/214 शीर्षक रामेश्वरीदेवी बनाम विचित्र सिहं अन्तर्गत धारा 251 आरटीए के अन्तर्गत आदेश दिनांक 02-09-2014 के अन्तर्गत विचित्र सिहं की खातेदारी की कृषि भूमि चक 45 एनजीसी के पत्थर नम्बर 137/245 (3) के किला नम्बर 23 की पश्चिमी सीमा पर दक्षिण से उतर 1 बिस्वा रास्ता मंजूर फरमाया था तथा इस रास्ता की एवज में श्रीमती रामेश्वरीदेवी ने अपनी खातेदारी भूमि में से पत्थर नम्बर-137/245 (3) के किला नम्बर 17 व 18 में दक्षिणी तरफ विचित्र सिहं की चिपती कृषि भूमि किला नम्बर 23-24 के उत्तर दिशा में प्रत्येक किला में आधा-आधा बिस्वा भूमि दी। इस आदेश की पालना में इन्तकाल संख्या 383 दर्ज हुआ। प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 02-09-2014 व इन्तकाल संख्या 383 संलग्न है। श्रीमती रामेश्वरीदेवी का देहान्त हो जाने के कारण उसके खाता की भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है तथा विचित्र सिहं के खाता की भूमि अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 के नाम हुई है। उक्त किला नम्बर-23 में स्वीकृत किये गये 1 बिस्वा रास्ता के दोनों तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि है। अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 ने इस स्वीकृत रास्ता के दोनों सिरों पर पत्थर गाड़ कर तारबन्दी कर दी है तथा इस कारण इस 1 बिस्वा अर्थात 8.25 फुट में से प्रार्थीगण के कृषि यन्त्र व तुड़ी, चारा से भरी टैक्ट्रर ट्राली व कम्बाईन आदि का आवागमन बाधित किये जाने व इस रास्ता को दो बिस्वा अर्थात 0.025 हैक्टेयर चौड़ाई में स्वीकृत किये जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 की चक 45 एन.जी.सी. में स्थित भूमि का विवरणः- प.न. 136/245 मु.न. 2 कि.न. 16, 25 कुल .506 प.न. 137/245 मु.न. 3 कि.न. 19 ता 25 कुल 1.771 हैक्टेयर प.न. 138/245 मु.न. 4 कि.न. 21 प.न. 138/246 मु.न. 9 कि.न. 1/1 तादादी 2.657 हैक्टेयर। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 45 एनजीसी के खाता संख्या-20/40 सम्वत 2075-2078 संलग्न प्रार्थना-पत्र है। सुविधा की दृष्टि से नजरी नक्शा कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 मय स्वीकृत रास्ता अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

यह कि यद्यपि माननीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि के पत्थर नम्बर-137/245 (23) में पश्चिमी सिरे पर उतर से दक्षिण 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत फरमाया है लेकिन विचित्र सिहं के देहान्त उपरान्त अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 ने इस स्वीकृत रास्ता के दोनों सिरों पत्थर गाड़ कर तारबन्दी कर दी है तथा इस कारण इस 1 बिस्वा अर्थात 8.25 फुट में से प्रार्थीगण के कृषि यन्त्र व तुड़ी, चारा से भरी टैक्ट्रर ट्राली व कम्बाईन आदि का आवागमन बाधित हो गया है। इस कारण न्यायहित में इस स्वीकृत रास्ता का विस्तार (Enlargement or widening) किया जाना आवश्यक हो गया है ताकि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में फसल काटने के लिये कृषि यन्त्र व तुड़ी, चारा से भरी टैक्ट्रर ट्राली व कम्बाईन आदि का सुगमतापूर्वक आवागमन जारी रख सके।

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि चक 45 एनजीसी के पत्थर नम्बर-137/245 (3) के किला नम्बर 23 में स्वीकृत 1 बिस्वा रास्ता के स्थान पर विस्तार करते

ये 2 बिस्वा स्वीकृत किये जाने के मुआवजा स्वरूप अपनी खातेदारी कृषि भूमि पत्थर म्बर-137/245 (3) के किला नम्बर-17-18 में दक्षिण तरफ पूर्व में दी गई आधा-आधा बिस्वा े चिपते हुये अतिरिक्त आधा-आधा बिस्वा अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 को देने के लिये तत्पर है। ह कि प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या-1 2 की कृषि भूमि चक 45 एनजीसी के पत्थर नम्बर-137/245 (3) के किला नम्बर-23 के श्चिमी सिरे पर उतर से दक्षिण स्वीकृत 0.013 हैक्टेयर अर्थात 1 बिस्वा यानि 8.25 फुट का विस्तार (Enlargement or widening) करते हुये 0.025 हैक्टेयर अर्थात 2 बिस्वा बिस्वा यानि 16.5 फुट स्वीकृत फरमाया जावे तथा इसकी एवज में प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 45 एनजीसी के पत्थर नम्बर-137/245 (3) के किला नम्बर-17-18 में दक्षिण तरफ पूर्व में दी गई आधा-आधा बिस्वा के चिपते हुये अतिरिक्त आधा-आधा बिस्वा भूमि मुआवजा स्वरूप अप्रार्थीगण संख्या-1 व 2 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज फरमाई जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता बलविन्द्र सिंह हाजिर व जवाब प्रार्थना पत्र असहमति का पेश किया व कथन किया कि कि दफा-1 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कि रास्ता के प्रकरण संख्या 188/2014 शीर्षक रामेश्वरी देवी बनाम विचित्र सिंह अन्तर्गत धारा 251 आरटीए के अन्तर्गत चक 45 एनजीसी के पत्थर नम्बर 137/245 के किला नं0 23 की पश्चिमी सीमा पर दक्षिण से उत्तर एक बिस्वा रास्ता मंजूर हुआ था, स्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने इस स्वीकृत रास्ता की भूमि को छोड़ते हुए पशुओं से अपनी फसल की रक्षा करने के उद्देश्य से रास्ता के दोनों तरफ अपनी कृषि भूमि में खम्बों को गाडकर तारबंदी किये जाने का कथन स्वीकार है। परन्तु यह कथन कि इस सवा आठ फुट चौड़ाई के मार्ग से कृषि यंत्र ट्रैक्टर ट्राली व कम्बाईन आदि का आवागमन बाधित हो रहा हो, पूर्णतया असत्य होने से अस्वीकार है। ट्रैक्टर की चौड़ाई के मुताबिक ही ट्राली की चौड़ाई रखने का प्रावधान है। इसी प्रकार से कम्बाईन का आगे का भाग जो कि पृथक हो सकता है, को लगाकर कम्बाईन को चलाना हर प्रकार से मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। कम्बाईन की चौड़ाई भी 8 फीट से अधिक नहीं होती है। ऐसी कोई भी कम्बाईन को किसी फील्ड में ले जाकर इसके आगे हार्वेस्टिंग के लिए उपकरणों को जोड़ा जाता है। जाहिर है कि प्रार्थीगण ने इस सम्बंध में मिथ्या व असत्य कथनों को अंकित किया है। मौके पर जो स्थिति वर्ष 2014 में रास्ता से सम्बंधित आवश्यकता को पूरी करने के लिए मौजूद थी, उसमें आज भी किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं आया है। ऐसी अवस्था में रास्ता का विस्तार किये जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

कि दफा-2 प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन यदि राजस्व अभिलेख के अनुसार सही पाये जाते हैं तभी स्वीकार्य होंगे। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 के खण्ड 3 में प्रार्थीगण ने पूर्व अभिकथित तथ्यों की पुनरावृति की है जिसका यथास्थान जवाब दिया जा चुका है। खण्ड चतुर्थ में अप्रार्थीगण की भूमि का विवरण स्वीकार है। परन्तु इसमें वर्णित यह कथन कि विचित्र सिंह के देहान्त के उपरांत अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने इस स्वीकृत रास्ता के दोनों ओर पत्थर गाड कर तारबंदी की हो व सवा फीट चौड़ाई के इस रास्ता की भूमि में कृषि यंत्र ट्रैक्टर ट्राली व कम्बाईन आदि का आवागमन बाधित हो गया हो, पूर्णतया असत्य होने से अस्वीकार है। रास्ता के स्वीकृत होने के समय से ही पशुओं से फसल की रक्षा करने के उद्देश्य से रास्ता के दोनों ओर अप्रार्थीगण व विचित्र सिंह के द्वारा तारबंदी की हुई है। पूर्व व वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। ऐसी स्थिति में रास्ता की भूमि को चौड़ा किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रार्थीगण ने बनावटी तौर पर ऐसी आवश्यकता का होना दर्शाया है। जैसा कि पूर्व में भी वर्णित किया गया है कि कृषि सम्बंधि उपयोग में आने वाले प्रत्येक यंत्र व वाहन की चौड़ाई 8 फीट से कहीं अधिक नहीं होती है। ऐसी अवस्था में आन्तरिक रास्तों की चौड़ाई सवा फुट से अधिक होने की आवश्यकता ही

नहीं होती है। इस प्रकार के रास्ता आन्तरिक रास्ता की श्रेणी में आते हैं जो कि मुख्य मार्ग से किसी काश्तकार की भूमि तक पहुंचने के लिए एक बिस्वा चौड़ाई की भूमि में स्वीकृत किये जाते हैं। के खण्ड 5 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने जिस किला नं0 23 में स्वीकृत एक बिस्वा रास्ता के स्थान पर 2 बिस्वा किये जाने सम्बंधी जो मांग की है वह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। प्रार्थी के द्वारा की गई रास्ता विस्तार की मांग असद्भावी व अवास्तविक होने के कारण निरस्तनीय है।

अतिरिक्त कथन

यह कि प्रार्थीगण कतई असद्भावी है जो कि अपनी कृषि भूमि में रास्ता की आवश्यकता के दृष्टिगत रास्ता की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि जो कि हनुमानगढ़ जंक्शन शहर के अत्यधिक समीप होने की वजह से इसे व्यवसायिक तौर पर काम में लाने की लिहाज से अधिक चौड़े रास्ते की मांग कर रहे हैं। यहां यह ज्ञातव्य है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं0 10, 11 व 12 में उनके स्वामियों के द्वारा पक्के गोदाम निर्मित कर रखे हैं। इसी भावना के अनुरूप प्रार्थीगण भी अपनी कृषि भूमि को भविष्य में रूपान्तरित करवा कर इसे गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त करने के उद्देश्य से अपनी भूमि तक चौड़े रास्ते की मांग कर रहे हैं जबकि उनकी कृषि सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान में स्वीकृत व चल रहे 1 बिस्वा रास्ता से बखूबी पूरी हो रही है। अप्रार्थीगण लघु कृषक है जिनकी कृषि भूमि को पहले से ही रास्ता स्वीकृत करवाकर अप्रार्थीगण ने दो भागों में विभाजित कर रखा है। अब इसे ओर अधिक चौड़ा करवाकर इस दूरी को ओर बढ़ाया जा रहा है जिसकी वजह से अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि जो कि दो टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है, की सिंचाई व अन्य प्रकार से प्रबंधन करने में अप्रार्थीगण को अत्यधिक कठिनाई होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**

2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**

3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा व प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित पत्रांक 2783 दिनांक 13.08.2019 मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसमें अंकन किया गया है कि प्रार्थी के खेत के लिए पूर्व में एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत है जो चालू भी है। प्रार्थी के खेत में आवगमन हेतु पूर्व में स्वीकृत रास्ता कि.न. 23 में .013 आवागमन हेतु सुविधाजनक है। खेत में जाने हेतु पूर्व में रास्ता स्वीकृत है व अन्य किसी भी किले से रास्ता दिया जाना सुविधाजनक नहीं है। प्रार्थी पूर्व में स्वीकृत रास्ता को बढाकर 2 बिस्वा करवाना चाहता है। अप्रार्थी सहमत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिप्रार्थना पत्र बाद सुनवाई के अस्वीकार किया जाता है। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता से सुगमता से प्रार्थी अपनी जोत तक पहूंच सकता है किंतु धारा 251 में अत्यांतिक आवश्यक्ता को ध्यान में रखा जाना है प्रार्थी को पूर्व से ही अपनी आराजी में पहूंच हेतु रास्ता उपलब्ध है व मौके पर चालू भी है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के

यम–68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जा चुका है। कानुनन स्वीकृतशुदा रास्ते से प्रार्थी की ातेदारी जोत तक पहुचने हेतु सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए तथा प्रार्थी की खातेदारी ाराजी को पहुच हेतु सबसे नजदीक रास्ता मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा के प्रार्थी के ास उपलब्ध है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का ाना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना नहीं पाया गया । प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में अस्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत ता है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:–

–:क्रिन्याविति आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। खर्चा ाकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया या।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ